राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(117)परि/नियम/मु./2014/5556 जयपुर, दिनांकः 1.04.2015

कार्यालय आदेश संख्या..06/2015

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.2014 द्वारा शपथ पत्र/अभिप्रमाणित दस्तावेज (Attested Documents) की अनिवार्यता को समाप्त करने व स्व अभिप्रमाणित/स्व–घोषणा (Self Attested/Self Declaration) व्यवस्था लागू करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किए गए है। उक्त निर्देशों की व्याख्या में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि:–

विभाग में किसी भी प्रयोजनार्थ आवेदन के साथ स्व–अभिप्रमाणित (Self Attested) दस्तावेज एवं स्वंय घोषणा–पत्र (Self Declaration) स्वीकार किए जायेगें लेकिन परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रचलित अधिनियम/नियमों के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य किए गए शपथ पत्र/अभिप्रमाणित दस्तावेज पूर्वानुसार ही भविष्य में भी प्राप्त किए जाते रहेगें। उदाहरणार्थः– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम **4.2क** के उप–नियम (3) में उल्लेखित बीमा प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि यथावत संलग्न की जाएगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (निवास प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक प्रमाण पत्र) का प्रावधान संशोधित किया जा चुका है। उक्त संशोधन संबंधी अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है। अतः इसके स्थान पर अब स्व अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ही स्वीकार योग्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना में प्राप्त किए जने वाले शपथ पत्र की अनिवार्यता में किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की गयी है। अतः ऐसे आदेशों की पालना में यथावत शपथ पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यथाः– चौपहिया वाहन स्वामियों के पंजीयन हेतु पार्किंग स्थान उपलब्धता का शपथ पत्र पूर्वानुसार प्राप्त किया जाता रहेगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाओं/आवेदन के समय स्व–अभिप्रमाणन/स्वघोषणा व्यवस्था की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर आवेदन की प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाया जाये।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7(117)परि/नियम/मु./2014/5557–5562 जयपुर, दिनांकः 01.04.2015

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण...(समस्त)।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .... (समस्त)।
4. अपर परिवहन आयुक्त, जोन...(समस्त)।
5. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)